रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265796
CG-DL-E-29082025-265796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
No. 548] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 592(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के अधीन ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2023 द्वारा अधिनियमित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2024 द्वारा अधिसूचित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 22 फरवरी, 2024 में प्रकाशित की गई थी;

और उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (1) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, उन नियमों के अधीन की गई किसी भी गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित करेगी;

अत: अब, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2024 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया है, केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, वृक्षारोपण गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने के लिए निम्नलिखित पद्धति को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. क्षरित वन भूमि क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष की पुनर्स्थापन गतिविधियाँ पूरी होने पर, तथा न्यूनतम चालीस प्रतिशत का वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त करने के बाद, आवेदक ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में दावा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा तथा आवेदक केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रशासक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सत्यापन फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
2. ग्रीन क्रेडिट की गणना वनस्पति की प्रस्थिति के आधार पर, जिसमें छत्र घनत्व में परिवर्तन और जीवित वृक्षों की संख्या भी शामिल होगी, की जाएगी।
3. ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए क्षरित वन भूमि क्षेत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत का वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त करना होगा तथा पांच वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नए वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा ।
4. दावा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक, अभिहित अभिकरणों के माध्यम से वन पुनर्स्थापन गतिविधि के मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 3 में अधिकथित मानदंडों के आधार पर, जैसा भी लागू हो ग्रीन क्रेडिट बना सकेगा और आवेदक को जारी कर सकेगा।
5. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम गतिविधि के अधीन प्रतिपूरक वनरोपण या वृक्षारोपण के लिए बनाए गए ग्रीन क्रेडिट, नियंत्री और उसकी समनुषंगी कंपनियों के बीच अंतरण को छोड़कर, गैर-व्यापारिक और गैर-अंतरणीय होगा।
6. भूखण्ड के लिए कार्यान्वयन पद्धतियां, जहां प्रशासक द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध आवेदक द्वारा भुगतान जमा किया गया था और तारीख 22 फरवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ) के अनुसार ग्रीन क्रेडिट पोर्टल (https://www.moefcc-gcp.in/) में अभिलिखित किया गया था, उस अधिसूचना द्वारा शासित होते रहेंगे और ग्रीन क्रेडिट की गणना और इसका प्रयोग इस अधिसूचना में अधिकथित मानदंडों पर आधारित होगा।
7. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन बनाए गए ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान एक बार, निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, अर्थात्: -
   क. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अधीन यथाअधिकथित गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन से संबंधित मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण की अनुपालना को पूरा करना।

ख. वन पुनर्स्थापन गतिविधियों पर उपगत लागत के आधार पर, तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन आवश्यकता को पूरा करना;

ग. तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अनुसार, आवेदक व्यक्ति या संस्था द्वारा आरंभ की जा रही परियोजना के अनुमोदन के अनुपालन में बाध्यताओं को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता को पूरा करना।

8. ऊपर वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए ग्रीन क्रेडिट का विनिमय कर दिए जाने पर, इसे ऐसे ग्रीन क्रेडिट की उस सीमा तक निर्वापित हुआ माना जायेगा, जिस सीमा तक इसका उपयोग किया जा चुका है, तथा उस सीमा तक इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।

9. उक्त नियमों के अधीन वृक्षारोपण के बदले में उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का उपयोग तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण, सामाजिक और शासन नेतृत्व उपदर्शक के अधीन रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकेगा।

10. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वयन की पद्धतियां वो होंगी जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएँ।

[फा. सं. एचएसएम-12/135/2025- एचएसएम]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

G.S.R. 592(E).— Whereas, the Central Government enacted the Green Credit Rules, 2023 under section 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) *vide* notification number S.O. 4458(E), dated the 12th October, 2023 and was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii);

And whereas, in pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023, the methodology for calculation of Green Credit in respect of tree plantation was notified *vide* notification number S.O. 884(E), dated the 22nd February, 2024 and was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 22nd February, 2024;

And whereas, sub-rule (1) of rule 5 of the said rules provides that the Central Government shall, on the recommendation of the Administrator, notify the methodology for calculating the Green Credit in respect of any activity taken under those rules;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule *(1)* of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023 and in supersession of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number S.O. 884(E), dated the 22nd February, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Administrator, hereby notifies the following methodology for calculating the Green Credit in respect of tree plantation activity, namely:-

1. On completion of minimum five years of restoration activities in the degraded forest land parcel(s), and after achieving a minimum canopy density of forty per cent (40% canopy density), the applicant shall be eligible to submit a claim report in the format specified by the Administrator for award of Green Credit and applicant shall be liable to pay the verification fee as specified by the Administrator in consultation with the Central Government.

2. The Green Credit shall be calculated based on the vegetation status including the change in the canopy density and the number of surviving trees.

3. The minimum canopy density of forty per cent shall have to be achieved in the degraded forest land parcel for issuance of Green Credit and one Green Credit shall be awarded for each new tree of the age more than five years.

4. On receipt of the claim report, the Administrator, based on the evaluation and verification of the forest restoration activity through designated agencies, may generate and issue Green Credit to the applicant, as may be applicable, based on the criteria laid down in paragraphs 1 to 3.

5. The Green Credit generated for compensatory afforestation or tree plantation under the Green Credit programme activity shall be non-tradable and non-transferable except for the transfer between the holding company and its subsidiary companies.

6. The implementation modalities for land parcels, where payment against the demand raised by the Administrator was deposited by the applicant and recorded in the Green Credit portal (https://www.moefcc-gcp.in/) in accordance with the notification number S.O. 884(E) dated the 22nd February, 2024, shall continue to be governed by that notification and the calculation of Green Credit and its usage shall be based on the criteria laid down in this notification.

7. The Green Credit generated under the Green Credit Programme may be exchanged once, for any of the following purposes, namely: -

a. to meet the compliance of the compensatory afforestation in cases related to diversion of forest land for non-forestry purposes as laid down under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) and the rules and guidelines framed thereunder;

b. to meet the requirement under the corporate social responsibility, as per the provisions of any law for the time being in force, based on cost incurred towards forest restoration activities;

c. to meet the requirement of plantation of trees to fulfil the obligations in compliance of the approval of the project/activity being undertaken by the applicant person or entity as per the provisions of any law for the time being in force.

8. Once the Green Credit is exchanged for any of the purpose mentioned above, it shall be deemed to have been extinguished to the extent such Green Credit has been used and to that extent it cannot be used again.

9. The Green Credit generated in lieu of tree plantation under the said Rules may be used for reporting under environmental, social and governance leadership indicator as per the provisions of any law for the time being in force.

10. The implementation modalities under the Green Credit Programme shall be as specified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time.

[F. No. HSM-12/135/2025-HSM]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.29 22:59:05 +05'30'